निर्वाचन आयोग

अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा

कार्यालय- गहोई बंधु भवन, राजा बाक्षर की गोठ, राजा बाक्षर मन्दिर के पास

दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

ईमेल : **gahoibandhu@gmail.com** फोन न- 0751-2454142

अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के अध्यक्ष (एक), उपाध्यक्ष (पांच), महामंत्री (एक), मंत्री (पांच), कोषाध्यक्ष (एक), कुल 13 पदों हेतु निर्वाचन कार्यक्रम।

निर्वाचन कार्यक्रम

वर्ष-2025

अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के अध्यक्ष (एक), उपाध्यक्ष (पांच), महामंत्री (एक), मंत्री (पांच), कोषाध्यक्ष (एक) कुल तेरह (13) पदों हेतु महासभा संविधान के अनुसार सहा. रजिस्ट्रार झांसी के आदेशानुसार महासभा निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। जिसका निर्वाचन कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है

प्रत्याशियों हेतु 1. नाम निर्देशन/नामांकन महासभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, हेतु आवश्यक अर्हतायें 3, सामान्य आचार संहिता 4.नाम वापिसी प्रपत्र 5. अभिकर्ताओं की नियुक्ति का प्रपत्र माह मई 2023 गहोई बंधु के पेज क्रमांक 9 से 15 तक प्रकाशित किया गया है।

संशोधन :- महासभा के उपाध्यक्ष, महामंत्री तथा कोषाध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी की आयु 45 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष या उससे अधिक मान्य की गई है। इस पत्रिका में आवश्यक अर्हतायें आचार संहिता नामांकन प्रक्रिया का पुनः प्रकाशन किया गया है।

शेष अर्हतायें माह मई 2023 में प्रकाशित नियमावली के अनुसार ही रहेगी।

निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों का अपना नाम निर्देशन पत्र समस्त सह अभिलेख तथा निर्धारित शुल्क जमा के प्रमाण स्वयं के नाम के ईमेल सहित निर्वाचन आयुक्त कार्यालय गहोई बंधु कार्यालय ग्वालियर में निर्धारित दिनांक में निर्धारित समय तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा स्वयं के ईमेल से गहोई बंधु के ईमेल एड्रेस gahoibandhu@gmail.com पर भेजना अनिवार्य होगा विलम्ब से प्राप्त निर्देशन पत्र अमान्य कर निरस्त किये जावेंगे।

1. मतदाता सूची का प्रकाशन	–	मतदाता सूची का प्रकाशन माह सितम्बर 2022 से माह फरवरी 2023 के अंकों में किया जा चुका है। सितम्बर 2022 से अक्टूबर 2024 तक के मतदाताओं की सूची इसी अंक में प्रकाशित की जा रही है। मतदान केन्द्रो की सूची का प्रकाशन माह फरवरी 2023 के अंकों में किया जा चुका है।
2. मतदाता सूची बाबत दावे आपत्तियां	–	माह फरवरी 2023 मार्च 2023 तथा अप्रैल 2023 की गहोई बंधु में निराकरण प्रकाशित किया गया है।
3. महासभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री मंत्री, कोषाध्यक्ष के पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करना	–	दिनांक 01 अक्टूबर 2025 बुधवार से 08 अक्टूबर 2025 (बुधवार) तक प्रातः 11 बजे से सायं 05 बजे तक गहोई बंधु कार्यालय में स्वंय उपस्थित होकर अथवा गहोई बंधु के ईमेल पर स्वयं के ईमेल द्वारा निर्धारित समयावधि में नाम निर्देशन प्रस्तुत करें।
4. जांच उपरांत प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की सूची का प्रकाष	–	दिनांक 09 अक्टूबर 2025 गुरूवार को सायं 05 बजे तक
5. नाम निर्देशन पत्रों पर दावे आपत्ति मय प्रमाण प्रस्तुत करने की अवधि	–	दिनांक 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार से दिनांक 11 अक्टूबर 2025 शनिवार को कार्यालयीन समय प्रातः 11 से सायं 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा स्वंय के ईमेल द्वारा

6. दावे आपत्तियों का निराकरण	–	दिनांक 12 अक्टूबर 2025 रविवार को प्रातः 11 से सायं 5 बजे तक निर्वाचन आयोग द्वारा
7. नाम वापिसी का दिनांक	–	दिनांक 13 अक्टूबर 2025 सोमवार से 15 अक्टूबर 2025 बुधवार को गहोई बंधु कार्यालय में स्वंय उपस्थित होकर अथवा स्वंय के ईमेल द्वारा
8. निर्वाचन में भाग लेने वाल वैद्य प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन	–	दिनांक 16 अक्टूबर 2025 गुरूवार को सांय 5 बजे गहोई बंधु कार्यालय में
9. मतदान का दिनांक,समय एवं स्थान	–	16 नवम्बर 2025 रविवार संबंधित मतदान केन्द्र पर समय प्रातः 08 बजे से सायं 04 बजे तक
10 मतगणना का दिनांक एवं समय	–	दिनांक 16 नवम्बर 2025 (रविवार) संबंधित मतदान केन्द्र मतदान के तुरंत पश्चात
11 अन्तिम परिणाम की घोषणा	–	दिनांक 22 नवम्बर 2025 (शनिवार) को गहोई बंधु कार्यालय ग्वालियर में निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना पटल पर चस्पा।

नोट :– 1. सभी पदों के प्रत्याशियों से लिया गया नामांकन शुल्क, उम्मीदवार (प्रत्याशी) के नामांकन निरस्त होने अथवा नाम वापिसी लेने के पश्चात वापिस नहीं किया जायेगा।

2. .गहोई बंधु माह सितम्बर 2022 से माह फरवरी 2023 तक प्रकाशित संशोधित मतदाता सूची के अनुसार महासभा के वही सदस्य अपना मतदान कर सकेंगे जिन्होंने महासभा की संरक्षक अथवा आजीवन सदस्यता ग्रहण की है तथा जिनका नाम गहोई बंधु के मतदाता सूची में प्रकाशित हुआ है।

3. प्रत्येक मतदाता को अपना कोई भी फोटो युक्त परिचय पत्र लाना अनिवार्य है। आधार/वोटर कार्ड/पेन कार्ड/महासभा परिचय पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/बैक पासबुक लाना अनिवार्य है। अन्यथा वह मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

4. किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दो या दो से अधिक स्थानों पर अंकित हो तो उन्हें एक ही मत देने का अधिकार होगा।

5. जिन मतदाताओं की डयूटी मतदान केन्द्र अथवा मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन अधिकारी पद पर उनके निवास से दूर लगी है उनकी सदस्यता आईडी लेकर सम्बंधित मतदान केन्द्र पर उनके द्वारा मतदान किया जा सकेगा। तथा उस मतदान केन्द्र की मतदाता सूची में उनका सदस्यता क्रमांक तथा नाम अंकित किया जावेगा।

6. निर्वाचन कार्यक्रम में परिस्थिति अनुसार फेरबदल करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

7. .निर्वाचन परिणामों की घोषणा निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जावेगी। तथा विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण–पत्र दिये जावेंगे।

पदवार अर्हतायें :-

महासभा अध्यक्ष पद हेतु अर्हतायें :-

(अ) प्रत्याशी की आयु 45 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिये तथा महासभा की कार्यकारिणी का सदस्य रहा हो या

वर्तमान में रहते हुये एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो। (महासभा के आमंत्रित सदस्य महासभा कार्यकारिणी की श्रेणी में नहीं आते)

(ब) उम्मीदवार से नामांकन शुल्क 25,000/- रू. (पच्चीस हजार रूपये) नियत किया गया है।

महासभा महामंत्री पद हेतु अर्हतायें :-

(अ) प्रत्याशी की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिये तथा महासभा की कार्यकारिणी का सदस्य रहा हो या वर्तमान में रहते हुये एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो।

(ब) उम्मीदवार से नामांकन शुल्क 25,000/- रू. (पच्चीस हजार रूपये) नियत किया गया है।

महासभा उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष पद हेतु अर्हतायें :-

(अ) प्रत्याशी की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिये तथा महासभा की कार्यकारिणी का सदस्य रहा हो या वर्तमान में रहते हुये एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो। क्षेत्रीय सभा हेतु महासभा, क्षेत्रीय सभा कार्यकारिणी अथवा स्थानीय पंचायत का पदाधिकारी रहा हो या वर्तमान में हो।

(ब) उम्मीदवार से नामांकन शुल्क 21,000/- रू. (इक्कीस हजार रूपये) नियत किया गया है।

महासभा के मंत्री पद हेतु अर्हतायें :-

(अ) प्रत्याशी की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिये,

(ब) कम से कम एक वर्ष तक महासभा के सम्बद्ध किसी भी स्थानीय पंचायत अथवा क्षेत्रीय सभा का पदाधिकारी रह चुका हो अथवा महासभा/क्षेत्रीय सभा का कार्यकारिणी सदस्य रहा हो या वर्तमान में रहते हुये एक वर्ष पूर्ण कर लिया हो।

(स) उम्मीदवार से नामांकन शुल्क 15,000 /रू. (पन्द्रह हजार रूपये) नियत किया गया है।

नोट :- प्रचार मंत्री (एक पद), सम्पत्ति न्यास निरीक्षक (एक पद), लेखा निरीक्षक (एक पद) के निर्वाचन महासभा की विधान नियमावली के अनुसार महासभा के अधिवेशन में कराये जावेंगे।

मतदाता सूची का प्रकाशन अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा की बेबसाईट पर भी किया जा रहा है। बेबसाईट पर भी आप मतदाता सूची का अवलोकन कर सकते है।

अ.भा.ग.वै.महासभा का खाता क्र. निम्नानुसार है-

आई.डी.बी.आई. बैंक नया बाजार-545100100005830 आई.एफ.एस.सी.कोड.IBKL0000545

एस.बी.आई. बैंक पाटनकर बाजार-63039422432 आई.एफ.एस.सी.कोड-SBIN0030119

आर.एन.गुप्ता
निर्वाचन आयुक्त

ई. रामनिवास छिरौल्या
निर्वाचन उपायुक्त